शत्रु के साथ व्यापार (आपात विषयक उपबंधों का चालू रखना) अधिनियम, 1947

(1947 का अधिनियम संख्यांक 16)

[20 मार्च, 1947]

भारत सरकार के साथ युद्धरत राज्यों और उन राज्यों के व्यक्तियों तथा फर्मों के साथ व्यापार के नियंत्रण और उनकी संपत्ति की अभिरक्षा से संबंधित भारत रक्षा नियमों के कतिपय उपबंधों को चालू रखने के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

यतः भारत सरकार के साथ युद्धरत राज्यों के व्यक्तियों तथा फर्मों के साथ व्यापार के नियंत्रण और उनकी सम्पत्ति की अभिरक्षा से संबंधित भारत रक्षा नियमों के कतिपय उपबंधों को चालू रखने के लिए उपबंध करना समीचीन है;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम शत्रु के साथ व्यापार (आपात विषयक उपबंधों का चालू रखना) अधिनियम, 1947 कहा जा सकता है ।

[1][(2) इसका विस्तार [2]*** सम्पूर्ण भारत पर है, और यह भारत के बाहर भी भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है ।]

(3) यह सन् 1947 के मार्च के 25वें दिन प्रवृत्त होगा ।

2. कतिपय आपात विषयक उपबंधों का चालू रखना—(1) भारत रक्षा अधिनियम, 1939 (1939 का 35) और आपात विषयक उपबंध (चालू रखना) अध्यादेश, 1946 (1946 का 20) के अवसान के होते हुए भी—

(क) इस अधिनियम की अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित भारत रक्षा नियम के उपबंध प्रवृत्त बने रहेंगे और उसके द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित उपान्तरों के अधीन प्रभावी होंगे;

(ख) उक्त उपबंधों में से किसी के अधीन या अनुसरण में बनाए गए या बने समझे गए कोई आदेश या अन्य लिखत जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे जहां तक इस धारा के द्वारा प्रवृत्त रखे गए उपबंधों से संगत हैं प्रवृत्त बने रहेंगे और इस तरह प्रवृत्त उपबंधों के अधीन या उनके अनुसरण में बने समझे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) में भारत रक्षा नियम के प्रति निर्देश से यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह आपात विषयक उपबंध (चालू रखना) अध्यादेश, 1946 (1946 का 20) द्वारा यथा उपांतरित और प्रवृत्त उन नियमों के प्रति निर्देश है ।

3. अन्य अधिनियमितियों से असंगत नियमों आदि का प्रभाव—धारा 2 द्वारा यथा प्रवृत्त रखे गए भारत रक्षा नियम के उपबंध और ऐसे उपबंधों के अधीन बनाए गए या बने समझे गए सभी आदेश इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर किसी अन्य लिखत में किसी बात के उनसे असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

4. प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी शक्ति या कर्तव्य का जो धारा 2 द्वारा यथाप्रवृत्त रखे गए किन्हीं उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त या अधिरोपित किया गया है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए; उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, प्रयोग या निर्वहन किया जाएगा ।

(2) धारा 2 द्वारा प्रवृत्त रखे गए किन्हीं उपबन्धों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी शक्ति या कर्तव्य को प्रत्यायोजित करने वाले सभी आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व बनाए गए हों और ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त हों प्रवृत्त बने रहेंगे और इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए समझे जाएंगे ।

5. आदेशों के बारे में व्यावृत्ति—(1) धारा 2 द्वारा प्रवृत्त रखे गए किन्हीं उपबन्धों के द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में बनाया गया या बना समझा गया कोई आदेश किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां किसी प्राधिकारी द्वारा किसी आदेश का बनाया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में तात्पर्यित है वहां न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थान्तर्गत यह उपधारणा करेगा कि ऐसा आदेश उस प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार बनाया गया था ।

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय" शब्द लोप किए गए थे ।

6. नियमों के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण—(1) धारा 2 के द्वारा प्रवृत्त रखे गए किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाए गए या बने समझे गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

(2) धारा 2 के द्वारा प्रवृत्त रखे गए किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाए गए या बने समझे गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित या कारित हो जाने के लिए संभाव्य किसी नुकसानी के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के विरुद्ध न होगी ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भारत रक्षा नियम के चालू रखे गए उपबंध

	नियम का संख्यांक और नाम	उपांतर
1.	संक्षिप्त नाम	..
2.	परिभाषाएं	खण्ड (1) छोड़ दिया जाएगा ।
3.	निर्वचन	उपनियम (3) छोड़ दिया जाएगा ।
4.	व्यावृत्ति	..
5.	इन नियमों या तद्धीन बनाए गए आदेशों का अनुपालन . . .	..
97.	परिभाषा	..
98.	शत्रु के साथ व्यापार करने का प्रतिषेध	..
99.	शत्रु के साथ व्यापार करने के बारे में अधिकारों का नियंत्रण आदि . .	..
100.	शत्रु के साथ व्यापार के नियंत्रक नियुक्त करने की शक्तियां आदि . .	..
100क.	शत्रु के साथ व्यापार के नियंत्रकों की शक्तियां आदि	..
101क.	नियंत्रकों के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति आदि	..
103.	परिभाषाएं	..
104.	शत्रु की फर्मों के साथ व्यापार करने और शत्रु की करेन्सी खरीदने का प्रतिषेध	..
105.	शत्रु की फर्मों के लिए नियंत्रक नियुक्त करना आदि	..
106.	शत्रु की फर्मों के लिए नियंत्रकों की शक्ति आदि	..
108.	नियंत्रक के आदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति आदि	..
110.	शत्रु की फर्मों के साथ संविदा	..
111.	शत्रु की फर्मों को या उनके द्वारा सम्पत्ति का अंतरण	..
113क.	शत्रु की फर्मों का कारबार चलाने की शक्ति	..
114.	शत्रु की फर्मों के ऋण का संग्रह और संपत्ति की अभिरक्षा . . .	..
114क.	कुछ कारबारों के नियंत्रण और परिसमापन की शक्ति	..
117.	मिथ्या कथन	..
117क.	पुस्तकें पेश करने की अपेक्षा करने की शक्ति आदि	..
121.	नियमों के उल्लंघनों का प्रयास आदि	..

	नियम का संख्यांक और नाम	उपांतर
122.	निगमों द्वारा अपराध	..
123क.	कतिपय मामलों में सबूत का भार	..
130.	नियमों के उल्लंघनों का संज्ञान आदि	उपनियम (3) और (4) छोड़ दिए जाएंगे ।

———